



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941
No. 370] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 8, 1941

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2019

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) दूसरा संशोधन विनियम, 2019

फा. सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2019(2).—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 में,-

(1) विनियम 11 में,-

(क) खंड (क) में, "केवल पंद्रह लाख रुपए (15,00,000/- रुपए)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"केवल बीस लाख रुपए (20,00,000/- रुपए)";

(ख) खंड (ख) में, "केवल पचास लाख रुपए (50,00,000/- रुपए)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"केवल पैंसठ लाख रुपए (65,00,000/- रुपए)।"

पी. के. सिंह, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./271/19]

टिप्पण : मूल विनियमों को, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 11 मई, 2011 में अधिसूचना सं. फा. सं. 1-1/संयोजन विनियम/2011-12/सीडी/सीसीआई द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए थे :-

- (i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 23 फरवरी, 2012 में अधिसूचना सं. फा. सं. 3-1/संशो./संयो.विनि./2012/सीडी/सीसीआई द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2012 द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- (ii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 4 अप्रैल, 2013 में अधिसूचना सं. फा. सं. 3-1/संशो./संयो.विनि./2012/सीडी/सीसीआई द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2013 द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- (iii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 28 मार्च, 2014 में अधिसूचना सं. फा. सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2014 द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- (iv) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 01 जुलाई, 2015 में अधिसूचना सं. फा. सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2015 द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- (v) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 07 जनवरी, 2016 में अधिसूचना सं. फा. सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2016 द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- (vi) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 09 अक्टूबर, 2018 में अधिसूचना सं. फा. सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2018 द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- (vii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 13 अगस्त, 2019 में अधिसूचना सं. फा. सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2019 द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2019

The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Second Amendment Regulations, 2019

F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl./2019(2).—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, namely:—

1. Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Second Amendment Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011,—

(1) in regulation 11,-

- (a) in clause (a), for the words, brackets and figures “rupees fifteen lakhs (Rs. 15,00,000) only;”, the following shall be substituted, namely:-
“rupees twenty lakh (Rs. 20,00,000) only;”;
- (b) in clause (b), for the words, brackets and figures “rupees fifty lakhs (Rs. 50,00,000) only;”, the following shall be substituted, namely:-
“rupees sixty five lakh (Rs. 65,00,000) only.”.

P. K. SINGH, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./271/19]

Note: Principal regulations were published *vide* notification number F. No. 1-1/ Combination Regulations/2011-12/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th May, 2011 and were subsequently amended by,—

- (a) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2012 published *vide* notification number F. No. 3-1/Amend/Comb.Reg./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd February, 2012;
- (b) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2013 published *vide* notification number F. No. 3-1/Amend/Comb. Regl./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 4th April, 2013;
- (c) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2014 published *vide* notification number F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 28th March, 2014;
- (d) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2015 published *vide* notification number F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 01st July, 2015;
- (e) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2016 published *vide* notification number F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 07th January, 2016;
- (f) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2018 published *vide* notification number F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 09th October, 2018; and
- (g) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2019 published *vide* notification number F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 13th August, 2019.